संख्या /13–XIX–2/161 खाद्य/ 2006

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड देहरादून।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 28 मार्च, 2013

विषयः– **जनपद टिहरी गढवाल में स्थित सुनहरीगाड (कण्डोगी) में 200 मी0टन क्षमता के गोदाम निर्माण के अवशेष कार्य को पूर्ण किये जाने की वित्तीय स्वीकृति विषयक।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी के पत्र संख्या 9 कैम्प/मैमो/1 सी0, दिनांक 26.12.2012 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जनपद टिहरी गढवाल में स्थित सुनहरीगाड़ (कण्डोगी) में 200 मी0टन क्षमता के गोदाम निर्माण के अवशेष कार्य को पूर्ण करवाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी द्वारा ₹ 5.90 लाख (रूपये पॉच लाख नब्बे हजार मात्र) का आगणन गठित कर वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त खाद्यान्न गोदाम के निर्माण के अवशेष कार्यो को पूर्ण किये जाने हेतु पूर्व में जारी शासनादेश संख्या 26/XIX/2007–161 खाद्य/006 दिनांक 08.03.2007 द्वारा स्वीकृत धनराशि ₹ 24.67 लाख में से अवशेष धनराशि ₹ 3.21 लाख को प्रस्तावित धनराशि ₹ 5.90 लाख में से कम करते हुए ₹ 2.69 लाख (रूपये दो लाख उनसत्तर हजार मात्र) को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को वित्तीय वर्ष 2012–13 में निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

3– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्येनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुये निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

6– निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री प्रयोग में लायी जाय।

7– आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

8– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 2047/XIV-219(2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

क्रमशः ..... 2 पर

9– आगणन गठित करते समय तथा कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व **Uttarakhand Procurement Rules 2008** का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

10– उक्त धनराशि का आहरण कर कार्यदायी संस्था प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी को उपलब्ध करायी जायेगी।

11– उक्त धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस हेतु स्वीकृत की जा रही है।

12– स्वीकृत धनराशि का उपयोग उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के अनुसार किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल एवं मितव्ययता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का पालन कडाई से किया जायेगा।

13– चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान संख्या–25 के लेखाशीर्षक 4408 –खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय–01–खाद्य–आयोजनागत–800–अन्य व्यय–05 गोदामों का निर्माण–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

14– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र सं0 129/P/XXVII(5)/2012-13 दिनॉक 26.03.2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(सुबर्द्धन)
सचिव

संख्या 152(i)/13–XIX–2/161 खाद्य/2006 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन, माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढवाल मण्डल, देहरादून।
3– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी
4– वित्त नियंत्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– जिलाधिकारी/जिलापूर्ति अधिकारी, नई टिहरी।
6– वरिष्ठ कोषाधिकारी, नई टिहरी।
7– वित्त अनुभाग–5/नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
8– समन्वयक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुबर्द्धन)
सचिव